राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः F8(1)/EoDB/IR/SHRAM/2020/00842 जयपुर, दिनांकः यथाहस्ताक्षर

परिपत्र

वर्तमान में विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही श्रम निरीक्षकों की एस.एस.ओ. आईडी पर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (CIS) के माध्यम से संस्थानों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् की जा रही है।

वर्तमान में श्रम निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के 48 घण्टे में निरीक्षण रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाकर CIS पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। Ease of Doing Business(EoDB) के अंतर्गत SBRAP and DBRAP से संबंधित सुधारों एवं जारी नये परिपत्र/अधिसूचनाओं के अनुरूप विभागीय निरीक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि CIS पोर्टल पर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने की पूर्व निर्धारित 48 घण्टे की समय–सीमा के स्थान पर अब निरीक्षण पूर्ण होने के 24 घण्टे में निरीक्षण रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा कर CIS पोर्टल पर अपलोड करे। तत्पश्चात् निरीक्षण प्रपत्र प्राप्त कर फॉलोअप कार्यवाही की जायेगी।

यदि निरीक्षण रिपोर्ट में अधिनियम/नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है तो फॉलोअप में निरीक्षण पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि निरीक्षण में अधिनियम/नियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उल्लंघनों की पूर्ति करने हेतु संस्थान को 15 दिवस का समय दिया जायेगा। यदि संस्थान द्वारा आक्षेपों की पूर्ति कर दी जाती है। तो निरीक्षण पर कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी। यदि निर्धारित समय में आरोपों की पूर्ति संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निरीक्षक को न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान कर दी जायेगी।

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार CIS पोर्टल के अनुसार निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने एवं निरक्षण परिपत्र अपलोड करने के पश्चात संबंधित श्रम निरीक्षकों से निरीक्षण प्रपत्र प्राप्त करें तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत आवश्यक फॉलोअप कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(पूजा पार्थ)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः F8(1)/EoDB/IR/SHRAM/2020/00842 जयपुर, दिनांकः यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना निरीक्षण एवं बॉयलर्स व ईएसआई विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.), राजस्थान जयपुर।
5. श्री मजहर हुसैन, सीनियर डायरेक्टर, एनआईसी लेबरसॉफ्ट, राजस्थान जयपुर।
6. एसीपी (उपनिदेशक), मुख्यालय को परिपत्र विभागीय पोर्टल पर प्रदर्श करने एवं CIS पोर्टल पर संशोधन करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref No.: 25247484
M e-Sign